

(C)


FORM NO. III

2021/90

कार्य अह्वान

(नियम 26)

अज अदालत SDO गणेशपुर  
जाजिग रामनिधर  
 किस्म मुकदमा 128 R/A 66/21

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही पर संश्लेषण जल	अन्य व गरीब अह्वान को क्या हुकम की सफाई में जाते हैं
9.6.21	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट का वाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय वहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा.....<u>म.श.वा.</u>.....            ग्राम.....<u>म.श.वा.</u>.....की            आ.न. <u>195, 305</u>.....की            विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीयों की मौजूदगी में की जावे।            प्रार्थी से कमीश्नरी फिस रुपये <u>1000/-</u> वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें।            पत्रावली में हुकमनामा जारी होकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p style="text-align: right;">               उपखण्ड अधिकारी              बडीसादडी              बडीसादडी ज. निजीहा           </p>	

